खंड 7 संख्या 22

बिहार विधान-सभा

(भाग 2—कार्यवाही प्रश्नोत्तर रहित)

बुधवार, तिथि 28 जुलाई 1982

विषय-सूची

	पृष्ठ
शून्य काल की चर्चाएं :	
(1) तिरहुत कैनाल के टूटजाने से उत्पन्न स्थिति ..	1
(2) हत्या आदि घटनाओं से जन-जीवन आतंकित ..	1-2
(3) छत टूट जाने से विधायक घायल	2
(4) डाक्टर और उनके लठैतों द्वारा ग्रामीण की हत्या ..	2
(5) कोईलियरी में कातिलाना हमला	3
(6) कैनाल टूटने से ग्रामीणों को क्षति ..	3
(7) विधान-सभा सदस्य श्री सूर्यदेव सिंह की गिरफ्तारी ..	3-4
(8) छत गिरने से विधान-सभा सदस्य को चोट ..	4
(9) संथाल परगना जिला में राहत कार्य	4-5
(10) थाना प्रभारी का अपराधकर्मियों से सांठ-गांठ ..	5
(11) भागलपुर विश्वविद्यालय के कुलपति द्वारा अनियमितता ..	5-6
(12) वर्षा नहीं होने से भीषण अकाल	6
(13) बखरी को अकालग्रस्त क्षेत्र घोषित करने की मांग ..	6
(14) ट्रान्सफार्मर की मरम्मती	6-7

(22) डॉक्टर के विरुद्ध आरोप

श्री मानिकचन्द राय—भगवानपुर हाट प्रखंड में जिला सिवान के प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी डा० नन्द कुमार मिश्रा इस प्रखंड में पिछले 3 वर्षों से कार्यरत हैं। श्री मिश्रा कभी भी स्वास्थ्य उप-केन्द्र पर नहीं जाते हैं। वे प्राईवेट प्रैक्टिस करते हैं। प्रत्येक रोगी से रुपया लेते हैं। गरीब एवं हरिजन रोगियों से वगैर रुपया लिए वे इलाज नहीं करते हैं। अभीतक दर्जनों से अधिक लोगों के विरुद्ध फौजदारी मुकदमा उन्होंने किया है तथा मेडिकल में दर्जनों कर्मचारियों पर झूठा मुकदमा करके उन्हें जेल में भेजवा रहे हैं। उन्होंने सरकारी गाड़ी पर झूठा भ्रमण करने का प्रोग्राम दिखाकर 3,500 रु० का झूठा वाउचर बनाकर रुपया उठाया है। उन्होंने 15 मार्च 1982 से 31 मार्च 1982 तक पुरुष नसबंदी के नाम पर 85 व्यक्तियों को बिना नसबंदी किए रुपया उठाया है।

(23) कर्मचारी की हत्या।

श्री वीरबल शर्मा—पश्चिम चम्पारण जिला अन्तर्गत बेतिया के एक खूखार सेठ सीता रजगढ़िया एवं उनके परिवार तथा कर्मचारियों ने दिनांक 19 जून 1982 की अपने बीज भंडार के कर्मचारी श्री हंसनाथ सिंह की हत्या कर दी।

लाश को अज्ञात बताकर बेतिया पुलिस ने पोस्ट मॉर्टम के बाद उस परिवार को सुपुर्द नहीं किया जबकि उनकी पहचान हो गयी थी। उनके संबंधी श्री हरेन्द्र सिंह ने बगहा सी० जे० एम० के इजलास में केश किया जिसका केस नम्बर चौतरवा थाना में दर्ज है कि उनके संबंधी श्री हंसनाथ सिंह का अपहरण सीता रजगढ़िया, गोविन्द प्रसाद रजगढ़िया, अजय रजगढ़िया, करुणा नन्द तिवारी, गनेश मल्लिक तथा कमल साह के द्वारा किया गया है। चौतरवा थाना की पुलिस ने अजय रजगढ़िया को गिरफ्तार कर छोड़ दिया। उनकी हत्या इसलिए की गयी है कि वे बीज भंडार के दो नम्बर के काम काज का भंडा खोल देने की धमकी सेठ रजगढ़िया को दे चुके थे। पुलिस राजनीतिक नेता एवं एक मंत्री के दबाव में आकर इस केस को रफा-दफा करने की स्थिति में है और फलस्वरूप एक व्यक्ति को भी गिरफ्तार नहीं किया गया है तथा गवाहों को धमकाया जा रहा है।

अतः मैं अपराधियों को शीघ्र गिरफ्तार करने की मांग करता हूं।

(24) गोदाम-भवन का निर्माण।

श्री रामजी प्रसाद सिंह—श्री परशुराम सिंह द्वारा जिला परिषद्, भोजपुर के हाते में गोदाम बनाने हेतु एकरारनामा कराया गया, इनसे पचास रुपया जमा

कराया गया, निविदा सही पायी गयी, लेकिन ये पदाधिकारी को खुश नहीं कर सके, इसलिए इन्हें परेशान किया जाता है जबकि जिला परिषद् का लाखों रुपया का सामान सड़ रहा है। सरकार अविलम्ब इस पर ध्यान दे।

(25) बेतिया जिला परिषद् में गलत नियुक्ति।

श्री धर्मेश प्रसाद वर्मा—अध्यक्ष, जिला परिषद्, बेतिया, श्री यमुना पाठक, जिन पर स्प्रिट-तस्करी का गंभीर आरोप है, ने सत्तर तथाकथित शिक्षकों को जिला शिक्षा अधीक्षक की सांठ-गांठ से 30 अप्रील 1982 को आदेश देकर दस लाख से अधिक सरकारी रुपया नाजायज दिलवा दिया है जिसमें से अधिकांश राशि को जिला शिक्षा अधीक्षक एवं श्री यमुना पाठक ने आपस में बांट लिया है। ज्ञातव्य है कि इनलोगों की नियुक्ति को पूर्व के जिला शिक्षा अधीक्षक ने अवैध घोषित कर दिया था। इसके अतिरिक्त श्री यमुना पाठक ने मई 1982 के प्रथम सप्ताह में करीब 100 अल्प प्रशिक्षित शिक्षकों की नियुक्ति जिला शिक्षा अधीक्षक की सांठ-गांठ से शिक्षा विभाग के सभी नियमों के विरुद्ध कर ली है और इसमें भी काफी रुपया शिक्षकों से वसूल किया गया है।

निवेदन है कि सरकार इन सभी गलत नियुक्तियों को रद्द करे तथा भ्रष्टाचार-निरोध विभाग से इसकी जांच करावे तथा उपरोक्त दोनों दोषी व्यक्तियों पर मुकदमा चलाकर उन्हें दंडित करे तथा श्री पाठक को जिला परिषद् के अध्यक्ष पद से हटावे।

(26) छत गिरने से विधायक घायल।

श्री राम विलास मिश्र—आज सुबह में विधायक फ्लैट संख्या 119 में श्री रामदेव वर्मा, स० वि० स० के शरीर पर छत गिर गयी जिससे वे घायल अवस्था में पटना मेडिकल कॉलेज अस्पताल में भर्त्ती हुए हैं। उनकी हालत गंभीर है। छत वर्षों से बेमरम्मत थी। अतः सरकार श्री वर्मा के उपचार का उत्तम प्रबंध करे तथा बेमरम्मत छत के लिए दोषी अधिकारी को दंडित करे।

अध्यक्ष—श्री रामाश्रय राय एवं अन्य स० वि० स० की ध्यानाकर्षण सूचना पर सरकारी वक्तव्य।

श्री ललन शुक्ल—उस दिन मैंने कहा था कि इस सत्र में इसका जबाव दे दूंगा लेकिन कल ही रिपोर्ट आयी है। इसकी मैं समीक्षा अभी कर रहा हूँ। हुक्म हो तो मैं इसे पटल पर रख दूं। कार्यपालक अभियंता ने 27 तारीख को चार्ज दे दिया है।